



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2015/आषाढ़ 30, 1937

No. 253]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2015/ASADHA 30, 1937

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 15 जुलाई, 2015

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (व्यापार स्थल) विनियम, 2015

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/9/99/2015.—समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114ए (2) (जेडएसी) और जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 18(4) के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 वीसी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

- (i) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (व्यापार स्थल) विनियम, 2015 के नाम से जाने जाएँगे।
- (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रभावी होंगे तथा ऐसी तारीख से आईआरडीए (व्यापार स्थल) विनियम, 2013 का अधिक्रमण करेंगे।

2. परिभाषाएँ :

- (i) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --
 - (क) 'अधिनियम' से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;
 - (ख) 'प्राधिकरण' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

- (ग) 'व्यापार स्थल' से भारत में पंजीकृत बीमाकर्ताओं द्वारा भारत के अंदर स्थापित क्षेत्रीय कार्यालय, आंचलिक कार्यालय, मंडलीय कार्यालय, शाखा कार्यालय अथवा कोई अधीनस्थ कार्यालय अथवा कोई अन्य कार्यालय, चाहे किसी भी नाम से कहलाता हो, अथवा भारत के बाहर स्थापित 'भारतीय बीमाकर्ताओं का प्रतिनिधि या संपर्क कार्यालय' अथवा 'भारतीय बीमाकर्ता का विदेश स्थित शाखा कार्यालय' अभिप्रेत है;
- (घ) 'प्रतिनिधि या संपर्क कार्यालय' से कारोबार के प्रधान स्थल अथवा प्रधान कार्यालय, चाहे किसी भी नाम से कहलाए, के साथ सूचना के माध्यम के रूप में कार्य करने के लिए भारत के बाहर भारतीय बीमाकर्ताओं का कार्यस्थल अथवा भारत में स्थित ऐसी संस्था जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई वाणिज्यिक या व्यापारिक या औद्योगिक कार्य नहीं करती तथा सामान्य बैंकिंग माध्यम द्वारा विदेश से प्राप्त आवक विप्रेषणों से अपना निर्वाह करती है, अभिप्रेत होगा;
- (ङ) 'विदेश स्थित शाखा कार्यालय' से भारत के बाहर स्थापित भारतीय बीमाकर्ताओं का 'शाखा कार्यालय' अभिप्रेत है जिसका आशय (क) कंपनी द्वारा शाखा के रूप में वर्णित किसी स्थापना; अथवा (ख) कंपनी के प्रधान कार्यालय द्वारा किया जानेवाला वही कार्यकलाप अथवा पर्याप्त रूप से वही कार्यकलाप करनेवाली किसी संस्था से है;
- (च) 'विवरणों' से इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विवरणियाँ अभिप्रेत हैं;
- (ii) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), अथवा जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31), अथवा साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57), अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों अथवा उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों में, जैसी स्थिति हो, क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।
- (3) इन विनियमों के अधीन प्रत्येक बीमाकर्ता कोई भी कारोबार स्थल प्रारंभ करने से पहले प्राधिकरण का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करेगा, चाहे वह भारत के अंदर हो या भारत के बाहर।
- स्पष्टीकरण:** ये विनियम अधिनियम की धारा 2(9)(डी) में परिभाषित रूप में पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए किसी विदेशी कंपनी द्वारा भारत में स्थापित शाखा पर लागू नहीं हैं।

खंड-1

भारत के अंदर व्यापार स्थलों के लिए मानदंड

भारत के अंदर व्यापार स्थल प्रारंभ करना

- (4) सभी बीमाकर्ताओं के पास प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक व्यवसाय योजना होगी। उक्त वार्षिक व्यवसाय योजना के अंतर्गत बीमाकर्ता की व्यवसाय योजनाओं के अतिरिक्त भारत के अंदर न केवल शहरी केन्द्रों में, बल्कि अर्ध-शहरी और ग्रामीण केन्द्रों में भी प्रारंभ करने के लिए प्रस्तावित नये व्यापार स्थलों की कुल संख्या निहित होगी।
- (5) उक्त वार्षिक व्यवसाय योजना के अंतर्गत विनियम 7(ii) में उल्लिखित व्यापार स्थलों को छोड़कर, आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में प्रारंभ करने के लिए प्रस्तावित व्यापार स्थलों के नाम विशिष्ट रूप से निहित होंगे जिनके लिए इन विनियमों के अनुसार प्राधिकरण का अनुमोदन अपेक्षित है।
- (6) प्रत्येक बीमाकर्ता वित्तीय वर्ष अप्रैल-मार्च के लिए अपने संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक व्यवसाय योजना प्राधिकरण को उसकी पहली तिमाही के अंत तक अर्थात् उसी वित्तीय वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगा।

- (7) (i) इन विनियमों के अनुसार भारत के अंदर प्रारंभ करने के लिए प्रस्तावित नये व्यापार स्थलों का अनुमोदन करने के लिए आवेदनों पर विचार करते समय प्राधिकरण एक परामर्शक और परस्पर सक्रिय प्रक्रिया के द्वारा वार्षिक आधार पर समग्र रूप से अनुमोदन प्रदान करने पर विचार करता है।
- क. प्राधिकरण वार्षिक व्यवसाय योजना में विनिर्दिष्ट व्यापार स्थलों पर विचार करने के बाद व्यापार स्थल प्रारंभ करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है।
- ख. कोई नये व्यापार स्थल प्रारंभ करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्रदान करने से इनकार करने की स्थिति में बीमाकर्ता इस पर पुनर्विचार करने के लिए युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत करते हुए तीन महीने के बाद निर्णय का पुनरीक्षण करने की अपेक्षा कर सकता है।
- ग. बीमाकर्ताओं को इस बात की अनुमति है कि वे नये व्यापार स्थल सम्मिलित करने के लिए अथवा वार्षिक व्यवसाय योजना में प्रस्तावित व्यापार स्थलों में संशोधन करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा अनुमोदित वृद्धिशील अथवा संशोधित व्यवसाय योजनाएँ दाखिल करें।
- (ii) विनियम 7(i) में निहित किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करनेवाले सभी बीमाकर्ताओं को इस बात की अनुमति दी जाती है कि वे प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन के बिना भारत के अंदर ऐसे केन्द्रों अथवा स्थानों अथवा जगहों पर व्यापार स्थल प्रारंभ करें जहाँ उपलब्ध नवीनतम दशवार्षिक जनगणना वर्गीकरण के अनुसार आबादी एक लाख से कम हो तथा इन विनियमों के विनियम 16 के अनुसार प्राधिकरण को सूचित करें।
- क. न्यूनतम शोधन-क्षमता अनुपात पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रूप में हो।
- ख. प्रबंधन के व्यय पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों के अंदर हों।
- (8) विनियम 7(i) में उल्लिखित व्यापार स्थल प्रारंभ करने के लिए प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक व्यवसाय योजना अथवा संशोधित वार्षिक व्यवसाय योजना की प्रति के साथ इन विनियमों की अनुसूची-1 के फार्म - पीबी 1 में प्रस्तुत किये जाएँगे। पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए शोधन-क्षमता अनुपातों का विवरण और प्रबंधन के व्ययों का ब्योरा भी प्रस्तुत किये जाएँगे।
- (9) विनियम 7(i) में उल्लिखित नये व्यापार स्थल प्रारंभ करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय तथा विनियम 7(ii) में उल्लिखित व्यापार स्थल प्रारंभ करते समय सभी बीमाकर्ता बीमा व्यवसाय के दीर्घकालिक स्वरूप का ध्यान रखेंगे जिसके लिए पूर्णतया नये व्यापार स्थलों में निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता है तथा वे अपेक्षाकृत अल्पकालिक अवधियों के लिए नये व्यापार स्थल प्रारंभ करने से बचेंगे।
- (10) विनियम 7(i) में प्रस्तावित और प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नये व्यापार स्थल प्राधिकरण के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अंदर प्रारंभ किये जाएँगे।
- क. उक्त समय-सीमा की समाप्ति के बाद प्राधिकरण का अनुमोदन व्यपगत हो जाएगा।
- ख. विनियम 10 में निर्धारित समय-सीमा के अंदर जो कारोबार स्थल प्रारंभ नहीं किये जा सके हों, उन्हें बीमाकर्ता परवर्ती वार्षिक व्यवसाय योजनाओं में सम्मिलित कर सकते हैं।
- (11) प्रारंभ किये गये सभी व्यापार स्थल, जो विशेषीकृत स्थल न हों जहाँ ग्राहकों के साथ कोई इंटरफेस न हो, जैसे आंचलिक कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय अथवा समर्थक (बैंक-अप) केन्द्र आदि, कम से कम पॉलिसीधारकों की सेवाएँ प्रदान करेंगे, जैसे प्रीमियमों, प्रस्ताव जमाराशियों का संग्रहण अथवा पॉलिसी सेवा संबंधी अनुरोधों पर कार्रवाई।

भारत के अंदर व्यापार स्थलों का समापन अथवा पुनःस्थानन

(12) (i) बीमाकर्ताओं द्वारा भारत के अंदर व्यापार स्थलों का समापन अथवा पुनःस्थानन अपने पॉलिसीधारकों को होनेवाली संभव असुविधा सहित सभी कारणों पर यथोचित रूप से विचार करने के बाद होगा। सभी बीमाकर्ता व्यापार स्थलों का समापन अथवा पुनःस्थानन करते समय निम्नलिखित उपबंधों का अनुपालन करेंगे।

क. किसी भी कारोबार स्थल का समापन अथवा किसी भी व्यापार स्थल का पुनःस्थानन अग्रिम रूप से बीमाकर्ताओं के संबंधित बोर्डों द्वारा अथवा यदि बीमाकर्ता का बोर्ड ऐसे प्रत्यायोजन की अनुमति देता है तो बोर्ड द्वारा नियुक्त पॉलिसीधारकों की संरक्षण समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। जहाँ इस उपबंध में यहाँ पर उल्लिखित अनुमोदन का अधिकार बोर्ड द्वारा नियुक्त अधीनस्थ समिति को प्रत्यायोजित किया जाता है, वहाँ उक्त अधीनस्थ समिति की बैठकों का कार्यविवरण बोर्ड के समक्ष तत्काल अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

ख. किसी भी व्यापार स्थल का पुनःस्थानन अथवा परिवर्तन, जो उसी नगर, कस्बा अथवा गाँव के अंदर करने की स्थिति को छोड़कर अन्य प्रकार से हो, प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन के अधीन होगा तथा प्रत्येक बीमाकर्ता जब भी आवश्यक हो, तब फार्म पीबी - 3 में प्राधिकरण के विचारार्थ ऐसे पुनःस्थानन अथवा परिवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

ग. सभी प्रस्तावित पुनःस्थाननों अथवा समापनों के संबंध में कम से कम दो महीने की अग्रिम सूचना उस कारोबार स्थल द्वारा सेवाप्रदत्त पॉलिसीधारकों को उन्हें सेवाएँ प्रदान करने के लिए की जा रही वैकल्पिक व्यवस्था संबंधी जानकारी सहित दी जाएगी।

घ. व्यापार स्थल के समापन के प्रस्ताव के बारे में प्राधिकरण को दो महीने के पहले अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा।

(ii) विनियम 12 (i) (क) और (ग) में निर्धारित व्यापार स्थलों के समापन और व्यापार स्थलों के पुनःस्थानन संबंधी शर्तें विनियम 7 (ii) के अनुसार बीमाकर्ताओं द्वारा प्रारंभ किये गये व्यापार स्थलों पर भी लागू हैं।

(iii) जहाँ प्राधिकरण की जानकारी में यह बात आती हो कि किसी व्यापार स्थल को प्रारंभ करने या उसका समापन या पुनःस्थानन करने का निर्णय अथवा किसी व्यापार स्थल को प्रारंभ करने या उसका समापन करने या पुनःस्थानन करने की कार्रवाई इन विनियमों के अनुसार नहीं है; वहाँ प्राधिकरण बीमाकर्ता को ऐसी कार्रवाई करने के लिए निदेश दे सकता है अथवा प्राधिकरण ऐसी कार्रवाई कर सकता है जो वह मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए उचित समझता हो।

प्राधिकरण को प्रस्तुत की जानेवाली विवरणियाँ

(13) सभी व्यापार स्थलों के समापन की सूचना इन विनियमों की अनुसूची - 1 के फार्म-पीबी 4 में एक विवरणी के रूप में प्राधिकरण को ऐसे समापन के बाद आनेवाले महीने के 15 दिन के अंदर दी जाएगी।

(14) व्यापार स्थलों के सभी पुनःस्थाननों का विवरण (अर्थात् नया पता, स्थान बदलने की तारीख आदि) ऐसे पुनःस्थानन के बाद आनेवाले महीने के 15 दिन के अंदर प्राधिकरण को इन विनियमों की अनुसूची - 1 के फार्म - पीबी 5 में एक विवरणी के रूप में सूचित किया जाएगा।

(15) इन विनियमों की अनुसूची - 1 में उल्लिखित फार्म - पीबी 2 में एक विवरणी के रूप में समेकित वार्षिक सांख्यिकी (आंकड़े) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 30 दिन के अंदर दाखिल की जाएगी।

- (16) बीमाकर्ता भारत के अंदर प्रारंभ किये गये व्यापार स्थलों के संबंध में सूचना प्राधिकरण को नया व्यापार स्थल प्रारंभ करने की तारीख के साथ जिस महीने में व्यापार स्थल प्रारंभ किया गया हो, उसके बाद आनेवाले महीने के 15 दिन के अंदर फार्म - पीबी 2 में एक विवरणी के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
- (17) प्राधिकरण इन विनियमों से संबंधित किसी भी अतिरिक्त सांख्यिकी और डेटा की माँग समय-समय पर इन विनियमों के अंतर्गत निर्धारित किये जानेवाले तरीके से और फार्मेट में कर सकता है।

खंड - II

भारत के बाहर व्यापार स्थलों के लिए मानदंड

- (18) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत कोई भी बीमाकर्ता प्राधिकरण द्वारा प्रदान किये जानेवाले पूर्व-अनुमोदन के अधीन भारत के बाहर 'विदेश स्थित शाखा कार्यालय' अथवा 'प्रतिनिधि अथवा संपर्क कार्यालय' खोल सकता है।
- (19) बीमाकर्ता द्वारा 'प्रतिनिधि अथवा संपर्क कार्यालय' या 'विदेश स्थित शाखा कार्यालय' का प्रारंभ, मेजबान देश जहाँ ऐसा कार्यालय खोलने का प्रस्ताव हो, के विनियमनकर्ता से अनुमोदन या सिद्धांत रूप में स्वीकृति प्राप्त करने के अधीन होगा।

संपर्क कार्यालय अथवा प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के लिए मानदंड

- (20) निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करनेवाले, भारत के बाहर प्रतिनिधि कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय खोलने के लिए इच्छुक बीमाकर्ता प्राधिकरण को अनुसूची-1 के फार्म एफपीबी-1 में आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- क) बीमाकर्ता पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शोधन-क्षमता के मानदंडों को पूरा करेगा।
- ख) बीमाकर्ता के पास बाजार आचरण, विनियामक अनुपालन, शिकायत निवारण आदि के संबंध में संतोषजनक पिछला कार्य-निष्पादन (ट्रैक) रिकार्ड होगा तथा प्राधिकरण के अभिलेखों में कंपनी के कार्य-संचालन के संबंध में कोई गंभीर प्रतिकूल टिप्पणियाँ नहीं होंगी।

प्रतिनिधि अथवा संपर्क कार्यालय द्वारा किये जानेवाले अनुमति-प्राप्त कार्यकलाप

- (21) भारत के बाहर खोले गये प्रतिनिधि अथवा संपर्क कार्यालय को निम्नलिखित कार्यकलाप करने की अनुमति है।
- क. प्रतिनिधि अथवा संपर्क कार्यालय के माध्यम से बीमाकर्ता विकासात्मक और संवर्धक कार्यकलाप कर सकते हैं जैसे वित्तीय, आर्थिक और वाणिज्यिक सूचना प्राप्त करना, बीमे के लाभों के बारे में संभावित ग्राहकों को शिक्षित करना, लोगों के बीच संवर्धक कार्यकलाप संचालित करना और कंपनी के उत्पादों का प्रवर्तन करना, ग्राहक सेवा संबंधी कार्यकलाप, मेजबान देश में रहनेवाले संभावित ग्राहकों की पहचान करना, भारत में स्थित कारपोरेट कार्यालय के साथ सूचना के माध्यम के रूप में कार्य करना, सेमिनार आयोजित करना, बीमा संबंधी विभिन्न अवसरों के संबंध में संभावित ग्राहकों को शिक्षित करना, आदि।
- ख. प्राधिकरण के पास पंजीकृत बीमाकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधि अथवा संपर्क कार्यालय के कार्य-संचालन को जारी रखने की अनुमति समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जानेवाली शर्तों के अधीन होगी।
- ग. पुनर्बीमा के अर्पण (सीडिंग)/स्वीकृति के लिए विदेशी दलालों, पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ संपर्क।
- घ. समझौतों को औपचारिक रूप देने में सहायक कार्यकलाप।
- ङ. सर्वेक्षकों/जोखिम निर्धारकों के साथ संपर्क।
- च. विदेश में जोखिमों से संबंधित दावों पर कार्रवाई करने में सहायक कार्यकलाप।

- छ. जोखिम-अंकन प्रथाओं और जानकारी के संबंध में विशेषज्ञता का आदान-प्रदान।
- ज. बीमा बाजार से संबंधित व्यावसायिक सूचना का आदान-प्रदान।
- झ. अनुसंधान अथवा संबंधित कार्यकलाप का संचालन।
- ञ. उपर्युक्त के संबंध में प्रासंगिक अन्य कार्यकलाप (जिन्हें एफपीबी-1 में विनिर्दिष्ट करना होगा)।
- (22) बीमाकर्ता प्रतिनिधि अथवा संपर्क कार्यालयों के माध्यम से अनिवासी भारतीयों के बीच संभावित ग्राहकों की पहचान करने की व्यवस्था कर सकते हैं, परंतु प्रस्ताव की स्वीकृति और जोखिमों का अंकन केवल भारत में ही किया जाएगा। परिणामतः जारी की जानेवाली पॉलिसियों को भारतीय रूप्यों में ही निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (23) बीमाकर्ता विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 और ऐसे कार्यालयों के परिचालनों को नियंत्रित करते हुए प्रचलित किसी भी अन्य कानून का अनुपालन करना जारी रखेगा।
- (24) प्रतिनिधि अथवा संपर्क कार्यालय को चाहिए कि वह भारत के बाहर किसी भी देयता की संविदा न करे।
- (25) प्रतिनिधि अथवा संपर्क कार्यालय द्वारा किसी भी एजेंट को नियुक्त किये जाने की अनुमति नहीं होगी और इस कारण से किसी भी रूप में कोई भी कमीशन अदा नहीं किया जाएगा।

प्रतिनिधि कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत की जानेवाली रिपोर्टें

- (26) बीमाकर्ता प्राधिकरण को प्रतिनिधि अथवा संपर्क कार्यालय के माध्यम से जुटाये गये व्यवसाय, किये गये व्यवय, प्राप्त और निवारण की गई शिकायतों के ब्योरे की सूचना प्रस्तुत करेंगे। उक्त रिपोर्टें वार्षिक आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 60 दिन की अवधि के अंदर प्रस्तुत की जाएंगी।
- (27) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बीमाकर्ता द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट, किये गये कार्यकलापों, किये गये व्यवय आदि का पूरा विवरण देते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 60 दिन की अवधि के अंदर प्राधिकरण को प्रस्तुत की जानी चाहिए। उक्त वार्षिक रिपोर्ट में भारत के बाहर प्रतिनिधि कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय में भारतीय परिचालन के साथ किये गये व्यवय का विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा यह भी विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि क्या प्रबंधन के व्यवय प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट वर्तमान सीमाओं के अंदर हैं अथवा नहीं।

विदेश स्थित शाखा कार्यालय खोलने के लिए मानदंड

- (28) जीवन बीमा अथवा साधारण बीमा अथवा स्वास्थ्य बीमा अथवा पुनर्बीमा व्यवसाय संचालित करने हेतु विदेश स्थित शाखा कार्यालय खोलने के लिए इच्छुक बीमाकर्ता निम्नलिखित सूचना के साथ प्राधिकरण को अनुसूची-1 के फार्म एफपीबी-2 में आवेदन प्रस्तुत करेंगे:
- i) जहाँ विदेश स्थित शाखा कार्यालय स्थापित करना प्रस्तावित है, वहाँ के अधिकार-क्षेत्र के संबंध में स्थापना और बीमा व्यवसाय के संचालन के लिए आवश्यक सूचना-प्रणाली, अनुपालन और अन्य अपेक्षाओं सहित विनियामक संरचना।
- ii) इस प्रकार का विदेश स्थित शाखा कार्यालय स्थापित करने से संबद्ध व्यय तथा इससे बीमाकर्ता पर आनेवाला वित्तीय भार।
- (29) प्राधिकरण के पास पंजीकृत बीमाकर्ता को भारत के बाहर निम्नलिखित श्रेणियों का बीमा व्यवसाय संचालित करने के लिए विदेश स्थित शाखा कार्यालय खोलने की अनुमति दी जा सकती है:
- क. जीवन बीमा व्यवसाय
- ख. साधारण बीमा व्यवसाय
- ग. स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय

घ. पुनर्बीमा व्यवसाय

बशर्त कि बीमाकर्ता भारत के बाहर विदेश स्थित शाखा कार्यालय खोलने के लिए प्राधिकरण के अनुमोदन की अपेक्षा करेगा जिसके लिए बीमाकर्ता को प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है।

विदेश स्थित शाखा कार्यालय खोलने के लिए बीमाकर्ताओं के पात्रता-मानदंड

(30) प्राधिकरण के पास पंजीकृत बीमाकर्ता जो भारत के बाहर विदेश स्थित शाखा कार्यालय स्थापित करने की अपेक्षा करते हैं, निम्नलिखित मानदंडों का पालन करेंगे:

क. बीमाकर्ता को चाहिए कि वह कम से कम 3 वर्ष के लिए परिचालन में हो। परिचालन के वर्षों की संख्या की गणना आर3 जारी करने की तारीख से की जाएगी।

ख. बीमाकर्ताओं के पास पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित वित्तीय स्थितियाँ होनी चाहिए:

- | | | |
|------|--|--|
| i) | जीवन बीमा कंपनियों के लिए निवल मालियत | - 500 करोड़ रुपये |
| ii) | साधारण बीमा कंपनियों और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के लिए निवल मालियत (नेट वर्थ) | - 250 करोड़ रुपये |
| iii) | पुनर्बीमा कंपनियों के लिए निवल मालियत | - 750 करोड़ रुपये |
| iv) | जीवन बीमा, साधारण बीमा, स्वास्थ्य बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों के लिए शोध-क्षमता | - जैसा की प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया हो |
| v) | जीवन बीमा, साधारण बीमा, स्वास्थ्य बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों के लिए लाभ | - पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों के लिए |

ग. जहाँ बीमाकर्ता सीमित धारितावाला (क्लोजली हेल्ड) है, वहाँ विदेश स्थित शाखा कार्यालय के परिचालनों को अवलंब देने के लिए वचनबद्धता के समर्थन में बोर्ड का संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा। जहाँ बीमाकर्ता व्यापक धारितावाला (वाइडली हेल्ड) है, वहाँ विदेश स्थित शाखा कार्यालय के परिचालनों को सहारा देने के लिए शेयरधारकों का संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा।

घ. पंजीकृत बीमाकर्ता को चाहिए कि वह आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती 5 वर्षों में से 3 वर्षों के लिए विनियामक अनुपालन के अपने पिछले कार्य-निष्पादन (ट्रैक) रिकॉर्ड में प्राधिकरण की किसी प्रतिकूल रिपोर्ट से ग्रस्त न हो।

ङ. बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित की जानेवाली कोई भी अन्य आवश्यकता।

विदेश स्थित शाखा कार्यालय के अनुमोदन को नियंत्रित करनेवाली शर्तें

(31) बीमाकर्ताओं का विदेश स्थित शाखा कार्यालय खोलने के लिए अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

- क) विदेश स्थित शाखा कार्यालय की पूँजी और देयताओं की प्रारंभिक आवश्यकता और आगे की वृद्धि शोधक्षमता मार्जिन की अपेक्षा से बाहर बीमाकर्ता के शेयरधारकों की निधियों से पूरी की जाएगी।
- ख) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) और भारत के बाहर ऐसे कार्यालयों के परिचालनों को नियंत्रित करनेवाले प्रचलित किसी भी अन्य कानून का अनुपालन।

- ग) मेजबान देश की शोधक्षमता संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन।
- घ) बीमाकर्ता मेजबान देश से लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर उसकी एक प्रति दाखिल करेगा।
- ङ) बीमाकर्ता मेजबान देश के विनियमनकर्ता द्वारा की गई किसी भी विनियामक अथवा पर्यवेक्षी कार्रवाई की सूचना लागू किये गये अर्थदंड और अन्य प्रशासनिक कार्रवाई, यदि कोई हो, एवं उसके बाद किये गये उपचारात्मक उपायों के पूरे विवरण के साथ प्राधिकरण को तत्काल देगा।
- च) कोई भी प्रतिकूल रिपोर्ट अथवा निष्कर्ष पाये जाते ही तत्काल प्राधिकरण को सूचित किये जाएंगे।
- छ) प्राधिकरण भारत के बाहर विदेश स्थित शाखा कार्यालय खोलने के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय कोई भी अन्य शर्तें लागू कर सकता है।

विदेश स्थित शाखा कार्यालय के लिए परिचालन संबंधी अपेक्षाएँ

(32) बीमाकर्ता का बोर्ड मेजबान देश में विदेश स्थित शाखा कार्यालय की स्थापना और उसके कार्य-संचालन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित परिचालन संबंधी विषयों का अनुमोदन करेगा:-

i. जोखिम-अंकन प्राधिकार का प्रत्यायोजन:

क. बीमाकर्ता प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में भारत के बाहर खोले गये प्रत्येक विदेश स्थित शाखा कार्यालय को प्रत्यायोजित जोखिम-अंकन सीमाओं की समीक्षा करेगा तथा वित्तीय निवल मालियत (नेट वर्थ), एक्सपोजरों, व्यावसायिक योजना, आदि के आधार पर उक्त सीमाओं का निदेशक बोर्ड से अनुमोदन करवाएगा और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 60 दिन की अवधि के अंदर प्राधिकरण के पास दाखिल करेगा।

ii. जोखिम-अंकन संबंधी विषय:

क. बीमाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे अपने प्रत्येक विदेश स्थित शाखा कार्यालय के लिए विशेष रूप से बनाई गई और निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित एक 'जोखिम-अंकन नीति' निर्मित करें। बीमाकर्ताओं को देश-विशिष्ट नीतियाँ बनाने पर भी विचार करना चाहिए, जिन्हें उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये जाने की आवश्यकता है। बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्पादों का अभिकल्पन (डिजाइनिंग) और रेटिंग सुदृढ़ और विवेकसम्मत जोखिम-अंकन के आधार पर हों। उत्पाद के अंतर्गत बीमाकृत आकस्मिकताएँ स्पष्ट होनी चाहिए तथा इनके द्वारा पारदर्शी रक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए जोकि बीमाकृत व्यक्ति के लिए मूल्यवान है।

ख. अपने जोखिम-अंकन संविभाग के विभिन्न पहलुओं के संबंध में विदेश स्थित शाखाओं द्वारा अनुसरण की जानेवाली व्यापक 'जोखिम-अंकन नियम-पुस्तक' (अंडराइटिंग मैनुअल) बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। बीमाकर्ता के पास ऐसी क्रियाविधियाँ विद्यमान होनी चाहिए जिनसे इस बात की निगरानी की जा सके कि विदेश स्थित शाखा कार्यालय सभी स्तरों पर उक्त मैनुअल की निर्धारित प्रथा का अनुपालन करता है। विदेश स्थित शाखा कार्यालयों में पदाधिकारियों को प्रत्यायोजित शक्तियों की समीक्षा करने के लिए बीमाकर्ताओं के पास उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ तक बाजार के अवसरों और सामयिक व्यावसायिक प्रतिक्रियाओं की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए ऐसी शक्तियों की पर्याप्तता का संबंध है।

iii. निवेश प्रबंध

क. बीमाकर्ताओं को चाहिए कि वे व्यावसायिक विचारों के अतिरिक्त, विदेश स्थित शाखा कार्यालयों के मान, स्वरूप और परिचालन-क्षेत्र के अनुरूप होने के लिए एक 'निवेश नीति' बनाएँ तथा अपने

निदेशक बोर्ड के समक्ष उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करें। ऐसी नीति बनाते समय मेजबान विनियमनकर्ता की अपेक्षाओं के अनुपालन, चलनिधि, विवेकपूर्ण मानदंडों, एक्सपोजर सीमाओं, प्रतिभूतियों के व्यापार में हानि रोध सीमाओं, सभी निवेश और बाजार जोखिमों के प्रबंध, आस्ति-देयता असंतुलन के प्रबंध, निवेश संबंधी लेखा-परीक्षाओं और निवेश सांख्यिकी, आदि से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

iv. जोखिम प्रबंधन:

क. बीमाकर्ताओं को जोखिम प्रबंधन के मानदंडों का अनुपालन करना चाहिए ताकि मेजबान पर्यवेक्षक / विनियमनकर्ता की विनियामक अपेक्षाएँ पूरी की जा सकें।

v. पुनर्बीमा:

क. बीमाकर्ता विदेश स्थित शाखा कार्यालयों के लिए प्रस्तावित पुनर्बीमा व्यवस्थाओं का विवरण निदेशक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जिससे उन देशों में उठाये गये जोखिमों के अंकन के कारण उत्पन्न होनेवाले एक्सपोजरों का ध्यान रखा जा सके। इसके अंतर्गत दोनों अनुपातिक और गैर-अनुपातिक व्यवस्थाओं को समाहित करते हुए पुनर्बीमा कार्यक्रम की संरचना, निवल प्रतिधारणों, बाध्यकारी सत्रों, यदि कोई हों, पुनर्बीमा व्यवस्थाओं द्वारा समाविष्ट वर्गों, आपाती रक्षाओं की सीमा पुनर्बीमाकर्ताओं को सुरक्षा, पुनर्बीमा अर्पणा (सेशनस) के स्थापन, पुनर्बीमा वसूलियों, हानि संबंधी बकाया प्रावधानों, आदि का विवरण समाविष्ट होना चाहिए।

vi. बीमाकर्ता द्वारा पर्यवेक्षण और नियंत्रण:

क. बीमाकर्ता को चाहिए कि वह विदेश स्थित शाखा कार्यालयों द्वारा उनके प्रधान अथवा कारपोरेट कार्यालय, जैसी स्थिति हो, को प्रस्तुत आवधिक समीक्षाओं की प्रणाली सहित सभी नियंत्रणों और विवरणियों की समीक्षा और संशोधन करे जिससे प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके तथा उनकी निरंतर व्यवहार्यता की निगरानी की जा सके। निरीक्षण अथवा लेखा-परीक्षा अथवा संवोक्षा के निष्कर्ष एवं विदेश स्थित शाखा कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्टें छमाही अंतरालों पर बीमाकर्ता के बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए।

ख. यह सुनिश्चित करने के लिए बीमाकर्ता के पास उपयुक्त प्रणालियाँ और जाँच-व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा साधनीपूर्वक और विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए तथा मूल कार्यालय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

ग. बीमाकर्ता को चाहिए कि वह विदेश स्थित शाखा कार्यालयों में पदाधिकारियों की प्रत्यायोजित शक्तियों की समीक्षा भी करे जहाँ तक स्थानीय वॉलिंसीधारकों की अपेक्षाएँ पूरी करने के लिए ऐसी शक्तियों की पर्याप्तता का संबंध है।

vii. बीमांकिक विषयः-

क. बीमाकर्ता देयताओं के मूल्यांकन, निवेश कार्यान्वयन, शोधकमता मजिन अनुपात, बीमा उत्पादों के अभिकल्पन और कीमत-निर्धारण, बकाया दावों के लिए परिक्षित निशियों के निर्माण तथा निवेश-मंडल द्वारा उचित समझे जानेवाले किसी भी अन्य विषय को निगरानी करने के लिए नियुक्त बीमांकिक की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।

viii. दावों के निपटान संबंधी विषयः

क. बीमाकर्ता के पास एक व्यापक 'दावा नियम-पुस्तक' (क्लेम्स मैनुअल) होनी चाहिए जो यह विधि निर्धारित करे जिसमें उसके विदेश स्थित शाखा कार्यालय के संबंध में दावों पर कार्रवाई की जाएगी

तथा प्रलेखीकरण, प्राधिकार का प्रत्यायोजन, पॉलिसीधारकों की सेवा (सर्विसिंग), शिकायत निवारण, आदि किये जाएँगे।

(33) बीमाकर्ता का निदेशक बोर्ड विदेश स्थित शाखा कार्यालय के परिचालनों की कार्य-पद्धति, वित्तीय विवरणों और व्यावसायिक कार्य-निष्पादन की नियमित अंतरालों पर निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है तथा ऐसी किसी घटना अथवा गतिविधि के घटित होने पर जो विदेश स्थित शाखा कार्यालय के कार्य-चालन को हानि पहुँचाती हो, वह प्राधिकरण को तत्काल सूचित करेगा।

(34) **प्राधिकरण को सूचना देने (रिपोर्टिंग) की अपेक्षाएँ**

बीमाकर्ता प्राधिकरण को विदेश स्थित शाखाओं के संबंध में निम्नलिखित रिपोर्टें दाखिल करेगा:-

i. **वित्तीय रिपोर्टिंग**

- क. लेखा-परीक्षित वार्षिक रिपोर्ट जिसमें जोखिम-अंकित प्रीमियम, व्यय किये गये दावों, प्रबंधन के व्ययों, कमीशन, निवेश आय, लाभों, तकनीकी आरक्षित निधियों, बकाया वसूलियों, आदि सहित किये गये कार्यकलापों का पूरा विवरण दिया गया हो, प्राधिकरण के समय-समय पर यथासंशोधित संबंधित लेखांकन विनियमों में विनिर्दिष्ट फार्म में उसके अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय-सीमाओं के अंदर।
- ख. निधियों का निवेश, निवेश पर प्रतिलाभ, अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए) आदि प्राधिकरण के समय-समय पर यथासंशोधित संबंधित निवेश विनियमों में विनिर्दिष्ट फार्मों में उनके अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय-सीमाओं के अंदर।
- ग. विदेश स्थित शाखा कार्यालय की आस्तियाँ, देयताओं और शोधक्षमता मार्जिन के मूल्यांकन के संबंध में नियुक्त बीमांकिक की रिपोर्ट।

ii. **व्यवसाय संबंधी रिपोर्टिंग**

- क. बीमाकर्ता तिमाही आधार पर शाखा कार्यालय द्वारा जुटाया गया व्यवसाय, किये गये व्यय, दावों संबंधी कार्यनिष्पादन, दावों की अवधि, प्राप्त और निवारण की गई शिकायतों का विवरण, सेवा मानक, प्रयुक्त वितरण माध्यम, आदि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट फार्मों में सूचित करेगा।
- ख. पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ।

iii. **अन्य**

- क. बीमाकर्ता मेजबान देश के विनियमनकर्ता द्वारा की गई कोई भी विनियामक अथवा पर्यवेक्षी कार्रवाई का पूरा विवरण तथा लागू किया गया दंड, लागू की गई कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई, यदि कोई हो, और किये गये उपचारात्मक उपाय प्राधिकरण को तत्काल सूचित करेगा।
- ख. प्राधिकरण विदेश स्थित शाखा कार्यालय के परिचालनों के संबंध में कोई भी अन्य विवरणी माँग सकता है, जैसा कि आवश्यक समझा जाए।

(35) बीमाकर्ता अपनी निगरानी के दौरान अथवा इन विनियमों के अंतर्गत उल्लिखित रिपोर्टों की समीक्षा के दौरान अपनी जानकारी में आनेवाले विदेश स्थित शाखा कार्यालय के परिचालनों के संबंध में कोई भी प्रतिकूल परिणाम प्राधिकरण को तत्काल सूचित करेगा।

भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा स्थापित विदेश स्थित शाखा कार्यालय की पूँजीगत अपेक्षाएँ पूरी करने के स्रोत

(36) (i) बीमाकर्ता के पास यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था विद्यमान होगी कि विदेशी परिचालनों के कारण उत्पन्न होनेवाली पॉलिसीधारक की देयताओं का पर्याप्त रूप से वलयरोधन (रिंगफेन्सिंग) किया गया है जिससे भारतीय पॉलिसीधारक का संरक्षण किया जा सके।

- (ii) जहाँ भी बीमाकर्ता के विदेश स्थित शाखा कार्यालय के परिचालनों के परिणामस्वरूप हानि होती है अथवा हानि होने की संभावना है, वहाँ उक्त हानियाँ पूरी करने के लिए अथवा पूँजीगत या अन्य विनियामक अपेक्षाएँ पूरी करने के लिए अतिरिक्त पूँजीगत अपेक्षाओं हेतु अंशदान बीमाकर्ता की शोधक्षमता मार्जिन की आवश्यकता के अतिरिक्त, शेयरधारकों की निधियों से किया जाएगा तथा विदेश स्थित शाखा कार्यालय की पूँजीगत आवश्यकता पूरी करने के लिए पॉलिसीधारकों की निधियों का कोई उपयोग नहीं किया जाएगा।

प्राधिकरण के अतिरिक्त अधिकार

- (37)(i) प्राधिकरण के पास बीमाकर्ता द्वारा स्थापित विदेश स्थित शाखा कार्यालय से संबंधित कोई भी दस्तावेज, अभिलेख अथवा पत्रादि की माँग, निरीक्षण अथवा जाँच-पड़ताल करने का अधिकार सुरक्षित है।
- (ii) उपर्युक्त के होते हुए भी, जहाँ प्राधिकरण की राय में किसी विदेश स्थित शाखा कार्यालय के परिचालन बीमाकर्ता के हित में नहीं हैं, वहाँ प्राधिकरण के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बीमाकर्ता को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद उपर्युक्त विदेशी परिचालन बंद करने के लिए अथवा उपर्युक्त विदेश स्थित शाखा कार्यालय में अपना हित पूर्णतः निर्निहित (डाइवैस्ट) करने के लिए बीमाकर्ता को निदेश दे।

प्राधिकरण को प्रस्तुत की जानेवाली विवरणियाँ

- (38) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यथाविद्यमान बीमाकर्ता के विदेश स्थित शाखा कार्यालय में लगाई गई पूँजी तथा अनुवर्ती वित्तीय वर्ष हेतु लगाने के लिए पूर्वानुमानित पूँजी की सूचना प्राधिकरण को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में अर्थात् वित्तीय वर्ष के 30 जून से पहले दी जाएगी।
- (i) उपर्युक्त उपबंधों के होने के बावजूद, किसी भी समय भारत के बाहर स्थापित विदेश स्थित शाखा कार्यालय में लगाई गई पूँजी तथा किसी भी समय किसी भी प्रयोजन से भारत के बाहर स्थापित विदेश स्थित शाखा कार्यालय के परिचालनों में अंतरित किसी भी स्वरूप की निधियों की सूचना ऐसे अंतरण के बाद 15 दिन के अंदर प्राधिकरण को दी जाएगी।
- (39) भविष्य में विदेश स्थित शाखा कार्यालय के परिचालनों के संबंध में ऐसी अन्य विवरणियाँ निर्धारित करने पर विचार करने का अधिकार भी प्राधिकरण अपने पास सुरक्षित रख सकता है जो बीमाकर्ता द्वारा प्राधिकरण के पास ऐसी समय-सीमाओं के अंदर दाखिल की जा सकेंगी जैसा कि उनमें विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार

- (40) इन विनियमों के किसी भी उपबंध के प्रयोग अथवा अर्थनिर्णय के संबंध में कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्राधिकरण का अध्यक्ष जब भी आवश्यकता हो तब उपर्युक्त स्पष्टीकरण अथवा दिशानिर्देश जारी कर सकता है।

अनुसूची - I

फार्म पीबी - 1/फार्म पीबी - 2

नया कार्यालय खोलने के लिए आवेदन फार्म/व्यापार स्थल प्रारंभ करने की सूचना के लिए फार्म

नया कार्यालय खोलने के इच्छुक बीमाकर्ता को यह फार्म भरना होगा। नया कार्यालय खोलने की स्थिति में यही फार्म दाखिल करना होगा, जिसके लिए प्राधिकरण का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करना अथवा प्राधिकरण को सूचित करना आवश्यक है।

1. बीमाकर्ता का नाम :

फाइलिंग का प्रकार :

आवेदन पर पुनर्विचार करने के लिए कारण (यदि लागू हो) :

2. प्रस्तावित कार्यालय के स्थान का विवरण

पता* : _____

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* : _____

जिला* : _____

नगर / कस्बा / ग्राम* : _____

पिन कोड** :

(*व्यापार स्थल प्रारंभ करने के लिए आवेदन दाखिल करते समय अनिवार्य तथा **व्यापार स्थल प्रारंभ करने के बाद सूचित करते समय अनिवार्य)

3(क) स्थान का वर्गीकरण

(i) स्थान: महानगरीय/शहरी/अर्ध-शहरी (ii) वर्गीकरण: स्तर (टीयर) I/II/III/IV/V/VI

(iii) कार्यालय का प्रकार: (iv) जनगणना (वर्ष) के अनुसार वर्गीकरण:

(iv) जनसंख्या _____ जनगणना (वर्ष) _____ के अनुसार

3(ख) शोधक्षमता मार्जिन और प्रबंधन व्यय

(i) तीन वर्ष के लिए प्रबंधन व्यय (तारीख को)

(ii) तीन वर्ष के लिए शोधक्षमता मार्जिन (तारीख को)

3(ग) अन्य विवरण:

(i) विशिष्ट कूट:

(ii) कार्यालय खोलने की तारीख:

4. आवेदन की प्रस्तुति संबंधी विवरण

i. आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख (यदि लागू हो)

ii. पूर्व में अनुमोदित कितने कार्यालय खोलने के लिए बीमाकर्ता के पास लंबित हैं?

iii. क्या बीमाकर्ता ने पिछले वित्तीय वर्ष में प्रबंधन व्यय संबंधी निर्धारित उच्चतम सीमा का अनुपालन किया है?

iv. क्या बीमाकर्ता ने पिछले वित्तीय वर्ष में निर्धारित शोधक्षमता मानदंडों का अनुपालन किया है?

v. नया कार्यालय खोलने से संबद्ध प्रस्तावित कुल पूंजीगत व्यय

vi. क्या उक्त कार्यालय को बीमाकर्ता के आईटी नेटवर्क के साथ संबद्ध किया जाएगा?

vii. क्या प्रस्तावित कार्यालयों के लिए ऑनलाइन प्रीमियम रसीदों के निर्गम की योजना है?

viii. यदि संबद्धता उपलब्ध नहीं कराई गई है तो सर्विसिंग की कौन-सी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और प्रस्तावित कार्यालय से नवीनतम सहायक कार्यालय तक की दूरी कितनी है?

ix. कार्यालय खोलने के लिए निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख

- x. प्रस्तावित कार्यालय में किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्य (कृपया उल्लेख करें हाँ/नहीं)
- क. विक्रय में सहायता
- ख. प्रीमियम संग्रहण
- ग. नया व्यवसाय
- घ. पॉलिसी संबंधी सर्विसिंग
- ड. निवेश
- च. कारपोरेट कार्य
- छ. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
- ज. ग्राहक इंटरफेस के बिना पश्चस्तरीय कार्यालय

5. प्रत्याशित व्यवसाय

वर्ष	नई पॉलिसियों की संख्या	नये व्यवसाय से प्रीमियम आय
वर्ष 1		
वर्ष 2		
वर्ष 3		

6. प्रस्तावित श्रमशक्ति

पदनाम	कर्मचारियों की संख्या

अनुलग्नक:

1. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक व्यवसाय योजना की प्रति
2. 3 वित्तीय वर्षों के लिए शोधक्षमता अनुपात का विवरण
3. 3 वित्तीय वर्षों के लिए प्रबंधन व्यय का विवरण

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के हस्ताक्षर

अथवा

मुख्य अनुपालन अधिकारी के हस्ताक्षर

इन फार्मों के प्रयोजन के लिए महानगरीय केन्द्र वह स्थान है जहाँ जनसंख्या 10 लाख और उससे अधिक है तथा शहरी केन्द्र 1 लाख से 9,99,999 तक की जनसंख्या से युक्त, अर्ध-शहरी 10,000 से 99,999 तक की जनसंख्या से युक्त। जनसंख्या के आंकड़ों की गणना नवीनतम उपलब्ध दशवार्षिक जनगणना डेटा के अनुसार करनी होगी।

फार्म पीबी-3

कार्यालयों के पुनःस्थानन हेतु अनुमोदन के लिए अनुरोध

कार्यालयों के पुनःस्थानन हेतु अनुमोदन के लिए अनुरोध

(उन स्थितियों को छोड़कर जहाँ पुनःस्थानन उसी नगर, कस्बा अथवा गाँव में हो (सभी प्रकार के नगरों के लिए)

पिन कोड

राज्य

जिला

नगर

विशिष्ट कूट

1. बीमाकर्ता का नाम:

2(क) वर्तमान कार्यालय के स्थान का विवरण

- i. पता लाइन 1
- ii. पता लाइन 2
- iii. पता लाइन 3
- iv. राज्य / संघ राज्य क्षेत्र
- v. जिला
- vi. नगर/कस्बा/गाँव
- vii. पिन कोड

2(ख) स्थान का वर्गीकरण

- i. स्थान: महानगरीय/शहरी/अर्ध-शहरी
- ii. वर्गीकरण: स्तर (टीयर) I/II/III/IV/V/VI
- iii. कार्यालय का प्रकार
- iv. वर्गीकरण जनगणना (वर्ष) के अनुसार
- v. कार्यालय खोलने की तारीख
- vi. जनसंख्या _____ जनगणना (वर्ष) _____ के अनुसार

3(क). नये कार्यालय स्थान का विवरण

- i. पता लाइन 1
- ii. पता लाइन 2
- iii. पता लाइन 3
- iv. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
- v. जिला
- vi. नगर/कस्बा/गाँव
- vii. पिन कोड

3(ख) स्थान का वर्गीकरण

- i. स्थान: महानगरीय/शहरी/अर्ध-शहरी
- ii. वर्गीकरण: स्तर (टीयर) I/II/III/IV/V/VI
- iii. कार्यालय का प्रकार
- iv. वर्गीकरण जनगणना (वर्ष) के अनुसार

4. अन्य विवरण

I. पुनःस्थानन की प्रस्तावित तारीख

II. कार्यालय के पुनःस्थानन के लिए निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख

iii. क्या पुनःस्थानन के संबंध में पॉलिसीधारकों को सूचित किया गया है? (दो महीने की अग्रिम सूचना) हाँ/नहीं

यदि नहीं तो कारण: _____

यदि हाँ, तो:

सूचना देने की तारीख.

सूचित करने की विधि:

अनुलग्नक:

1. बोर्ड के संकल्प की प्रति

हस्ताक्षर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

(अथवा)

मुख्य अनुपालन अधिकारी

फार्म - पीबी-4

कार्यालयों के समापन के लिए सूचना

कार्यालयों के समापन के लिए सूचना (सभी नगर)

(बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे कार्यालय के समापन की सूचना प्राधिकरण को अग्रिम रूप से कम से कम 2 महीने के पहले दें)

पिन कोड

राज्य

जिला

नगर

विशिष्ट कूट

1. बीमाकर्ता का नाम :

2(क). वर्तमान कार्यालय के स्थान का विवरण

- i. पता लाइन 1

- ii. पता लाइन 2
- iii. पता लाइन 3
- iv. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
- v. जिला
- vi. नगर/कस्बा/गाँव
- vii. पिन कोड

2(ख) स्थान का वर्गीकरण

- i. स्थान: महानगरीय/शहरी/अर्ध-शहरी
- ii. वर्गीकरण (स्तर I से स्तर VI)
- iii. कार्यालय का प्रकार
- iv. वर्गीकरण जनगणना के अनुसार
- v. कार्यालय खोलने की तारीख

3. अन्य विवरण

- i. विशिष्ट पहचान संख्या, यदि कोई हो
- ii. समापन की तारीख
- iii. कार्यालय के समापन के लिए निदेशक मडल/पीपीसी द्वारा अनुमोदन की तारीख
- iv. समापन के लिए पॉलिसीधारकों को अधिसूचित किया गया था (दो महीने की पूर्व सूचना)
यदि नहीं, तो कारण विनिर्दिष्ट करें :
यदि हाँ, तो
अधिसूचना की तारीख:
अधिसूचना की विधि:
- v. प्राधिकरण को सूचित करने की तारीख:

अनुलग्नक:

1. बोर्ड के संकल्प की प्रति (अनिवार्य)

हस्ताक्षर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सोईओ)

(अथवा)

मुख्य अनुपालन अधिकारी

फार्म - पीबी-5

(पुनःस्थानन के बाद सूचना)

पुनःस्थानन किये गये कार्यालय की सूचना

सूचना का प्रकार

विशिष्ट कूट

1. बीमाकर्ता का नाम:

2(क). वर्तमान कार्यालय के स्थान का विवरण

- i. पता लाइन 1
- ii. पता लाइन 2
- iii. पता लाइन 3
- iv. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
- v. जिला
- vi. नगर/कस्बा/गाँव
- vii. पिन कोड

2(ख) स्थान का वर्गीकरण

- i. महानगरीय/शहरी/अर्ध-शहरी
- ii. वर्गीकरण: स्तर (टीयर) I/II/III/IV/V/VI
- iii. कार्यालय का प्रकार
- iv. वर्गीकरण जनगणना (वर्ष) के अनुसार
- v. कार्यालय खोलने की तारीख

3. अन्य विवरण

पुनःस्थानन की वास्तविक तारीख:

टिप्पणी, यदि कोई हो

अनुलग्नक:

1. बोर्ड के संकल्प की प्रति

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)/मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) के हस्ताक्षर

फार्म - एफपीबी-1

अध्यक्ष

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण,

तीसरी मंजिल, परिश्रम भवन,

बशीर बाग,

हैदराबाद - 500 004

आईआरडीएआई के पास पंजीकृत बीमाकर्ता द्वारा भारत के बाहर प्रतिनिधि / संपर्क कार्यालय खोलने के लिए आवेदन : के संबंध में

क्रम संख्या	विवरण	ब्योरा
क	सामान्य सूचना	
1	बीमा कंपनी का पूरा नाम	
2	संस्थापन का स्थान और तारीख	
3	प्रधान कार्यालय का पता	

315861/15-3

4	पंजीकरण संख्या	
ख	स्वामित्व और प्रबंधन	
1	निदेशकों के नामों और पतों की सूची तथा उनकी अर्हताएँ और प्रधान व्यवसाय	
i)	नाम और पता	
ii)	अर्हताएँ	
iii)	प्रधान व्यवसाय	
2	प्रस्तावित प्रतिनिधि अथवा संपर्क कार्यालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा प्रधान अधिकारी का नाम, पता और संपर्क का ब्योरा	
3	मुख्यालय में उस प्रमुख व्यक्ति का नाम, पदनाम, पता और संपर्क का ब्योरा जो भारत के बाहर कंपनी के प्रतिनिधि/ संपर्क कार्यालय की निगरानी के लिए जिम्मेदार होगा	
ग	भारत के बाहर प्रस्तावित प्रतिनिधि / संपर्क कार्यालय का ब्योरा	
1	स्थान	
2	प्रतिनिधि/ संपर्क कार्यालय खोलने का प्रयोजन	
3	किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यकलाप (विनियम 21 देखें)	
4	अनुमानित वार्षिक व्यय तथा इन्हें पूरा करने के लिए स्रोत और विधि	
5	क्या भारत सरकार (केवल जीवन बीमा निगम/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में) और निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। यदि हाँ, तो आवश्यक अनुमोदनों की प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करें।	
6	सरकारी/विनियामक अनुमोदन अथवा मेजबान देश से प्राप्त सिद्धांत रूप में स्वीकृति की प्रतियाँ	
घ	पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में बीमा कंपनी की वित्तीय स्थिति	
1	पूँजी का विवरण: i) युक्ता पूँजी: ii) पिछले लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार निर्बंध आरक्षित निधियाँ	
2	पिछले तीन वर्षों के वित्तीय विवरणों के आधार पर बीमाकर्ता की वित्तीय स्थिति की मुख्य-मुख्य बातें	
3	शोधक्षमता मार्जिन अनुपात	
4	पिछले 3 वर्षों के लिए प्रबंधन व्यय अनुपात	
5	पिछले 3 वर्षों के लिए संयुक्त अनुपात	
6	क्या बीमाकर्ता पर भारत सरकार अथवा किसी विनियामक निकाय ने कोई कार्रवाई की है अथवा कोई दंड, अर्थदंड आदि लगाया है। यदि हाँ, तो उसका ब्योरा।	
ङ	पर्यवेक्षी व्यवस्थाएँ	
1	उन पर्यवेक्षी व्यवस्थाओं का ब्योरा जिनके अधीन बीमाकर्ता उस अधिकार-क्षेत्र में रहेगा जहाँ एक प्रतिनिधि / संपर्क कार्यालय खोलने का प्रस्ताव किया जा रहा है।	

घ	संग्रह किये जानेवाले दस्तावेज	
1	संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम	
2	पिछले 3 वर्षों के वित्तीय विवरण	
3	भारत सरकार (केवल जीवन बीमा निगम/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में) और निदेशक मंडल के अनुमोदन की प्रमाणित प्रतियाँ	
4	मेजबान देश से प्राप्त सरकारी/विनियामक अनुमोदन अथवा उनसे प्राप्त सिद्धांत रूप में स्वीकृति, यदि कोई हो	
5	मेजबान देश में प्रतिनिधि/संपर्क कार्यालय खोलने के निर्णय पर पहुँचने के लिए किये गये अनुसंधान, यदि कोई हो, की प्रति	

हम इसके द्वारा घोषणा करते हैं कि:

- ऊपर दिया गया विवरण हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार वास्तविक और सही है;
- हम भारत के बाहर अपने कार्यकलाप ऊपर स्तंभ सी.3 में निर्दिष्ट क्षेत्रों तक सीमित रखेंगे;
- यदि अनुमोदन प्रदान किया जाता है, तो हम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये जानेवाले नियमों और शर्तों का पालन करेंगे।

(आवेदक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा मुख्य अनुपालन अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम:

स्थान:

दिनांक:

फार्म एफपीबी - 2

अध्यक्ष

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण,

तीसरी मंजिल, परिश्रम भवन

बशीर बाग,

हैदराबाद 500 004

आईआरडीएआई के पास पंजीकृत बीमाकर्ताओं का विदेश स्थित शाखा कार्यालय खोलने के लिए आवेदन : के संबंध में

क्रम संख्या	विवरण	ब्योरा
क.	सामान्य सूचना	
1.	बीमाकर्ता का पूरा नाम	
2.	संस्थापन का स्थान और तारीख	
3.	कारपोरेट कार्यालय का पता	
4.	पंजीकरण संख्या	
ख.	स्वामित्व और प्रबंधन (आवेदन की तारीख को यथाविद्यमान)	
1.	निदेशकों के नामों और पतों की सूची तथा उनकी अर्हताएँ और प्रधान व्यवसाय	

	i) नाम और पता	
	ii) अर्हताएँ	
	iii) प्रधान व्यवसाय	
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम, पता और संपर्क का ब्योरा	
3.	5% से अधिक शेयर पूँजी को धारित करनेवाले शेयरधारकों का ब्योरा	
ग.	बीमाकर्ता की वित्तीय स्थिति (आवेदन की तारीख को यथाविद्यमान)	
1.	पूँजी का ब्योरा: i) चुकता पूँजी: ii) पिछले लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार निर्बंध आरक्षित निधियाँ	
2.	पिछले तीन वर्षों के वित्तीय विवरणों के आधार पर बीमाकर्ता की वित्तीय स्थिति की मुख्य-मुख्य बातें	
3.	पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के लिए निवल मालियत (नेट वर्थ)	
4.	पूर्ववर्ती 5 वर्षों के लिए लाभ	
5.	पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों का शोधक्षमता मार्जिन अनुपात	
6.	पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के लिए प्रबंधन व्यय अनुपात	
7.	पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के लिए संयुक्त अनुपात	
8.	पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के लिए शोधक्षमता मार्जिन अपेक्षा के अतिरिक्त शेयरधारक निधि	
9.	क्या पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के दौरान भारत सरकार अथवा किसी विनियामक निकाय ने बीमाकर्ता पर कोई कार्रवाई की है अथवा कोई दंड, अर्थदंड, आदि लगाया है। यदि हाँ, तो उसका ब्योरा	
घ.	भारत के बाहर प्रस्तावित कार्यालय का ब्योरा	
1.	स्थान	
2.	भारत के बाहर प्रस्तावित शाखा कार्यालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम, पता और संपर्क का ब्योरा	
3.	भारत के बाहर कार्यालय खोलने का प्रयोजन	
4.	जोखिम-अंकन किये जाने के लिए प्रस्तावित बीमा व्यवसाय की श्रेणी	
5.	विस्तृत वित्तीय पूर्वानुमान प्रस्तुत करें - 5 वर्ष की अवधि हेतु, प्रारंभ से लेकर प्रत्येक वर्ष के लिए पूर्वानुमानों के आधार पर वित्तीय पूर्वानुमानों के लिए प्रयुक्त मॉडल का विवरण दिया जाए। इनके द्वारा निम्नलिखित को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए: (i) विक्रय बल का आकार। (ii) विक्रय की राशि। (iii) विक्रय सहायता और प्रशासनिक स्टाफ का आकार। (iv) प्रीमियम आय। (v) निवेश आय। (vi) कमीशन और अन्य विक्रय संबंधी व्यय। (vii) प्रशासन के व्यय। (viii) आय कर और अन्य कर।	

	<p>(ix) सांविधिक आरक्षित निधियाँ। (x) अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन। (xi) लाभ और हानि लेखे और तुलन-पत्र। (xii) प्रथम वर्ष और नवीकरण व्यय अनुपात। (xiii) पूँजीगत आवश्यकताएँ। (xiv) लाभ-अलाभ अवधियाँ और पूँजी पर प्रतिलाभ। (xv) शेयरधारकों के लिए लाभांश : भारतीय और विदेशी। (xvi) पॉलिसीधारक अधिशेष और बोनस की घोषणाएँ</p> <p>इस खंड में उस विधि पर भी चर्चा की जानी चाहिए जिसमें भावी पूँजीगत आवश्यकताएँ पूरी की जाएँगी।</p>	
6.	<p>संवेदनशीलता विश्लेषण - ऊपर क्रम सं. 5 पर निर्धारित विश्लेषण एक आधारभूत परिदृश्य और कुछ वैकल्पिक परिदृश्यों के आधार पर होगा। "आशावादी" और "निराशावादी" पूर्वानुमानों पर आधारित संवेदनशीलता विश्लेषण भी शामिल किया जाए। ये निम्नलिखित जैसे पूर्वानुमानों से संबंधित होंगे:</p> <p>(i) विक्रय बल का आकार। (ii) विक्रय का परिमाण। (iii) विक्रय का औसत आकार। (iv) मृत्यु-दर/अस्वस्थता-दर के स्तर, जीवन/स्वास्थ्य के लिए पॉलिसी समापन के स्तर। (v) प्रशासनिक व्यय (मुद्रास्फीति सहित)। (vi) भावी निवेश की स्थितियाँ। (vii) उस विधि पर चर्चा शामिल की जानी चाहिए जिसमें निराशावादी परिदृश्यों के परिणाम को सँभाला जाएगा। (viii) अनुमानित वार्षिक व्यय और इन व्ययों को पूरा करने के लिए स्रोत और विधि।</p>	
7.	<p>क्या भारत सरकार (केवल जीवन बीमा निगम/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में) और निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। यदि हाँ, तो उक्त अनुमोदनों की प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत करें।</p>	
8.	<p>सरकारी/विनियामक अनुमोदन अथवा मेजबान देश से प्राप्त सिद्धांत रूप में स्वीकृति, यदि कोई हो, की प्रतियाँ</p>	
ड.	पर्यवेक्षी व्यवस्थाएँ	
1.	<p>उन पर्यवेक्षी व्यवस्थाओं का ब्योरा जिनके अधीन बीमाकर्ता उस अधिकार-क्षेत्र में है जहाँ भारत के बाहर एक कार्यालय खोलने का प्रस्ताव किया जा रहा है।</p>	
2.	<p>शाखा कार्यालय का स्वरूप (मेजबान देश में उसका संस्थापन कैसे किया गया है)</p>	
3.	<p>मेजबान देश में शाखा कार्यालय का प्रस्तावित नाम</p>	
4.	<p>संस्थापन का स्थान और दिनांक</p>	
5.	<p>एफबीओ के कार्यालय का पता</p>	
6.	<p>पंजीकरण संख्या</p>	

घ.	प्रस्तावित विदेश स्थित शाखा कार्यालय का स्वामित्व और प्रबंधन
1.	प्रमुख व्यक्तियों के नामों और पत्तों की सूची और उनकी अर्हताएँ तथा प्रस्तावित विदेश स्थित शाखा कार्यालय का प्रधान व्यवसाय
2.	नाम और पता
3.	अर्हताएँ
4.	प्रधान व्यवसाय
5.	विदेश स्थित शाखा कार्यालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम, पता और संपर्क का ब्योरा
6.	भारतीय कॉरपोरेट कार्यालय में उस प्रमुख व्यक्ति का नाम, पदनाम, पता और संपर्क का ब्योरा जो विदेश स्थित शाखा कार्यालय की निगरानी के लिए जिम्मेदार है
छ.	संलग्न किये जानेवाले दस्तावेज
1.	संस्था के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों की प्रतियाँ
2.	पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के वित्तीय विवरण
3.	भारत सरकार (केवल जीवन बीमा निगम और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में) और निदेशक मंडल के अनुमोदन की प्रमाणित प्रतियाँ
4.	मेजबान देश से प्राप्त सरकारी/विनियामक अनुमोदन अथवा उनसे प्राप्त सिद्धांत रूप में स्वीकृति की प्रतियाँ
5.	मेजबान देश में शाखा कार्यालय खोलने के निर्णय पर पहुँचने के लिए किये गये अनुसंधान, यदि कोई हो, की प्रति
6.	भारत के बाहर कार्यालय खोलने के संबंध में संगत समझे गये अथवा उसकी आवश्यकता को प्रमाणित करने वाले कोई अन्य दस्तावेज

हम इसके द्वारा यह घोषणा करते हैं कि:

- ऊपर दिया गया विवरण हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार वास्तविक और सही है;
- हम भारत के बाहर अपने कार्यकलाप ऊपर क्रम सं. घ(4) पर निर्दिष्ट क्षेत्रों तक सीमित रखेंगे;
- यदि अनुमोदन प्रदान किया जाता है तो हम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये जानेवाले नियमों और शर्तों का पालन करेंगे।

(आवेदक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा मुख्य अनुपालन अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम:

स्थान:

दिनांक:

प्रमाणीकरण

हम, अधोहस्ताक्षरकर्ता, सत्यनिष्ठापूर्वक यह घोषणा करते हैं कि आवेदक कंपनी की ओर से इस आवेदन फार्म में दिये गये तथ्य वास्तविक हैं तथा पूर्वानुमान और आकलन युक्तिसंगत धारणाओं पर आधारित हैं।

(आवेदक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा मुख्य अनुपालन अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम:

स्थान:

दिनांक:

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/161/15(141)]

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION**

Hyderabad, the 15th July, 2015

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Places of Business) Regulations, 2015

F. No. IRDAI/Reg/9/99/2015.—In exercise of the powers conferred by Section 64VC read with Section 114A (2) (zac) of the Insurance Act, 1938 and Section 18(4) of Life Insurance Corporation Act, 1956 as amended from time to time, the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement:

- (i) These regulations shall be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Places of Business) Regulations, 2015.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and supersede IRDA (Places of Business) Regulations, 2013 from such date.

2. Definitions —

- (i) Unless the context otherwise requires, —
 - (a) "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).
 - (b) "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under subsection (1) of Section 3 of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999;
 - (c) "Place of Business" means, a regional office, a zonal office, a divisional office, branch office or any subordinate office or any other office by whatever name called set up within India or a '*representative or a liaison office of Indian Insurers*' or a '*Foreign Branch Office of Indian Insurer*' set up outside India by the Insurers registered in India;
 - (d) A "Representative or a Liaison Office" would mean a place of business of Indian Insurers outside India to act as a channel of communication with the Principal place of business or Head Office by whatever name called and entities in India but which does not undertake any commercial or trading or industrial activity, directly or indirectly, and maintains itself out of inward remittances received from abroad through normal banking channel.
 - (e) "Foreign Branch Office" shall mean a 'branch office' of the Indian Insurers set up outside India which means (a) any establishment described as a branch by the company; or (b) any establishment carrying on either the same or substantially the same activity as that carried on by the Head Office of the company.
 - (f) "Return" means the returns specified under these regulations;
- (ii) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), or the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956) or the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972), or Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or the rules and regulations made there under, as the case may be.

- (3) Subject to these Regulations, every Insurer shall take the prior approval of the Authority before opening any place of business, be it inside India or outside India.

EXPLANATION: These Regulations are not applicable to a branch established in India by a foreign company for doing reinsurance business as defined in Section 2 (9) (d) of the Act.

SECTION - I

NORMS FOR PLACES OF BUSINESS WITHIN INDIA

OPENING OF PLACES OF BUSINESS WITHIN INDIA

- (4) All the Insurers shall have in place the Board approved Annual Business Plan for every Financial Year. The Annual Business Plan, in addition to the business plans of the Insurer, shall contain the total number of new places of business proposed to be opened within India not only in the urban centers but also in semi-urban and rural centers.
- (5) The Annual Business Plan shall specifically contain the names of places of business proposed to be opened within India, other than those places of business referred at Regulation 7 (ii), during the ensuing Financial Year for which an approval of the Authority is required in accordance with these Regulations.
- (6) Every insurer shall submit their respective Board approved Annual Business Plan for the Financial Year April - March before the end of its first Quarter, that is, by June 30th of the same financial year to the Authority.
- (7) (i) While considering applications for approving the new places of business proposed to be opened within India in accordance with these Regulations, the Authority considers according aggregate approvals on an annual basis, through a consultative and interactive process.
- a. The Authority after considering the places of Business specified in the Annual Business Plan may grant or deny approval for opening a place of business.
 - b. In the event of denial of approval by the Authority for opening any new places of business, the insurer may seek a review of the decision after three months bringing in valid reasons for reconsideration of the same.
 - c. Insurers are also permitted to file the Board approved incremental or modified Business Plans during the course of Financial Year for incorporating new places of business or for modifying the places of business proposed in the Annual Business Plan.
- ii. Notwithstanding anything contained in Regulation 7(i), all the Insurers that fulfill the following conditions are permitted to open places of business within India without prior approval of the Authority, in the centers or places or locations where the population is less than one lakh as per the latest decennial census classification available and inform the Authority in accordance with Regulation 16 of these Regulations.
- a. Minimum Solvency Ratio is as prescribed by the Authority in the preceding Financial Year.
 - b. Expenses of Management are within the norms prescribed by the Authority in the preceding Financial Year.
- (8) Proposals for opening places of business referred at Regulation 7 (i) shall be submitted in Form - PB 1 of Schedule -1 of these regulations along with the copy of Board approved Annual Business Plan or Modified Annual Business Plan. Statement of Solvency Ratios and details of Expenses of Management for the preceding three Financial Years shall be also furnished.
- (9) While submitting the proposals for opening new places of business referred at Regulation 7 (i) and while opening places of business referred at Regulation 7 (ii), all the insurers shall keep in view the long-term nature of insurance business that warrants the continuous presence in the new places of business throughout and shall avoid opening new places of business for shorter durations.
- (10) New places of business proposed at Regulation 7 (i) and approved by the Authority shall be opened within a period of one year from the date of approval of the Authority.
- a. After the expiry of the time limit, the approval of the Authority stands lapsed.
 - b. Insurers may incorporate those places of business that could not be opened within the stipulated time prescribed at Regulation 10 in subsequent Annual Business Plans.
- (11) All places of business, not being specialized places where back-end operations are proposed with no customer interface, such as Zonal Offices, Regional Offices or Back-Up Centers etc. opened shall at minimum offer policy holders' services such as collection of premiums, proposal deposits or attending policy service requests.

CLOSURE OR RELOCATION OF PLACES OF BUSINESS WITHIN INDIA

- (12) (i) Closure or relocation of the places of business within India by the Insurers shall be after due consideration of all the factors, including the possible inconvenience to its policyholders. All the Insurers shall comply with the following while closing or relocating the places of business.
- Closure of any place of business or relocation of any place of business, shall be approved in advance either by the respective Boards of Insurers or by the Board appointed Policyholders' Protection Committee if the Board of the insurer allows such delegation. Where the approval referred herein is delegated by the Board to the Board appointed subordinate committee, the minutes of the meetings of the subordinate committee shall be placed before the Board in the immediate next meeting.
 - Relocation or change of any place of business, otherwise than within the same city, town or village shall be subject to the prior approval of the Authority and every Insurer shall submit the proposal of such relocation or change to the Authority's consideration in Form PB - 3 as and when required.
 - Minimum of two months advance notice on all the proposed relocations or the closures, whether within the same city, town or village or otherwise, shall be given to the policyholders serviced by that place of business along with the information on alternate arrangements being made to provide services to them.
 - The Authority shall be notified two months in advance about the proposal of the closure of place of business.
- (ii) The conditions on Closure of places of business and relocation of places of business stipulated at Regulation 12 (i) (a) and (c) are also applicable to the places of business opened by the insurers in accordance to Regulation 7 (ii).
- (iii) Where it has come to the notice of the Authority that the decision to open or close or relocate, or the action of opening or closure or relocation; of a place of business is not in accordance with these regulations, the Authority may direct the Insurer to take such action or the Authority may take such action as deemed fit taking in to consideration the circumstances of the case.

RETURNS TO BE FURNISHED TO THE AUTHORITY

- (13) Closure of all places of business shall be reported to the Authority as a Return in Form - PB 4 of Schedule - 1 of these Regulations, within 15 days of the following month of such closure.
- (14) The details of all the relocations (i.e. new address, date of shifting etc.) of places of business shall be reported to the Authority as a Return in Form - PB 5 of Schedule - 1 of these Regulations, within 15 days of the following month of such relocation.
- (15) A consolidated annual statistics shall be filed as a Return in Form - PB 2 referred at Schedule - 1 of these Regulations, within 30 days of the closure of every Financial Year.
- (16) Insurers shall submit to the Authority the information on the places of business opened within India along with date of opening of the new place of business as a return in Form - PB 2 within 15 days of the following month in which a place of business is opened.
- (17) The Authority may call for any further Statistics and Data related to these Regulations in the manner and format as may be prescribed under these regulations from time to time.

SECTION - II**NORMS FOR PLACES OF BUSINESS OUTSIDE INDIA**

- (18) An Insurer registered with Insurance Regulatory and Development Authority of India may open a 'Foreign Branch Office' or a 'Representative or a Liaison Office' outside India subject to prior approval granted by the Authority.
- (19) Opening of 'a Representative or a Liaison Office' or a 'Foreign Branch Office' by Insurer shall be subject to obtaining the approval or an in-principle clearance from the regulator of the host country where such office is proposed to be opened.

NORMS FOR OPENING A LIAISON OFFICE OR A REPRESENTATIVE OFFICE

- (20) Insurers meeting the following norms, desirous of opening a representative or a liaison office outside India shall apply to the Authority in Form FPB - 1 of Schedule - I.
- Insurer shall maintain the solvency norms prescribed by the Authority in the preceding Financial Year.

3158 82715-4

- b) Insurer shall have a satisfactory track record on market conduct, regulatory compliances, redress of complaints, etc. and that there are no serious adverse observations on the functioning of the company in the records of the Authority.

ACTIVITIES ALLOWED BY A REPRESENTATIVE OR A LIAISON OFFICE

- (21) The representative or a liaison office opened outside India is permitted to carry out the following activities.
- a. Through the representative or liaison office, the Insurers can undertake development and promotional activities such as gathering financial, economic and commercial information, educating prospects about advantages of insurance, carrying out promotional activities and promoting company's products amongst the people, customer service activities, identifying prospects living in the host country, acting as a channel of communication with the Corporate Office situated in India, conducting seminars, educating prospects of the various insurance avenues, etc.
 - b. The permission to continue the functioning of the representative or liaison office by the insurers registered with Authority shall be subject to the terms and conditions as may be stipulated by the Authority from time to time.
 - c. Liaison with foreign brokers, re-insurers for ceding/acceptance of reinsurances.
 - d. Activities that support formalizing treaties.
 - e. Liaison with Surveyors/ Risk assessors.
 - f. Activities that support processing of claims pertaining to risks in a foreign country.
 - g. Sharing of expertise with respect to the underwriting practices and knowledge.
 - h. Sharing of business information related to insurance market.
 - i. Conduct of research or related activity.
 - j. Other activities incidental to the above. *(to be specified in FPB - 1)*
- (22) The Insurers can arrange to identify the prospects amongst non-resident Indians through the representative or liaison offices but, the acceptance of the proposal and underwriting of risks shall be done only in India. Consequently the policies to be issued shall be designated only in Indian rupees.
- (23) The Insurer shall continue to comply with the Foreign Exchange Management Act, 1999 and any other law in force governing the operations of such offices.
- (24) The representative or liaison office should not contract any liability outside India.
- (25) No agent would be permitted to be engaged by the Representative or Liaison Office and therefore no commission in whatever form shall be paid.

REPORTS TO BE FURNISHED TO THE AUTHORITY BY THE REPRESENTATIVE OFFICE OR A LIAISON OFFICE

- (26) The Insurers shall furnish information to the Authority on the business mobilized through the representative or a liaison office, expenditure incurred, details of complaints received and redressed. The reports shall be submitted on an annual basis within a period of 60 days from the end of every Financial Year.
- (27) At the close of financial year, an Annual Report giving full details of the activities undertaken, expenditure incurred, etc. should be submitted to the Authority by the Insurer within a period of 60 days from the end of every Financial Year. The Annual Report should also furnish the statement of the expenditure incurred at the Representative Office or Liaison Office outside India together with the Indian operation and specify whether or not the expenses of management are well within the extant limits specified by the Authority.

NORMS FOR OPENING A FOREIGN BRANCH OFFICE

- (28) The Insurer desiring to open a foreign branch office to carry on life insurance or general insurance or health insurance or reinsurance business shall make an application to the Authority in Form FPB - 2 of Scheduled - 1 along with the following information:
- i) The regulatory architecture along-with the reporting, compliance and other requirements necessary for the establishment and conduct of insurance business of the jurisdiction where a foreign branch office is proposed to be set up.
 - ii) The expenses involved in establishing such a foreign branch office and the financial burden it will cast on the Insurer.
- (29) The Insurer registered with the Authority may be permitted to open a Foreign Branch Office outside India to carry on the following classes of insurance business:

- a. Life insurance business
- b. General insurance business
- c. Health insurance business
- d. Reinsurance business

Provided the Insurer shall seek approval of the Authority to open a Foreign Branch Office outside India for which the Insurer has been granted the certificate of registration by the Authority.

ELIGIBILITY CRITERIA OF INSURERS FOR OPENING A FOREIGN BRANCH OFFICE

(30) The Insurers registered with the Authority seeking to set-up foreign branch office outside India shall comply with the following norms:

- a. The Insurer should have been in operations for at least 3 years. The number of years of operations shall be reckoned from the date of issuance of R3.
- b. The Insurers should have the following financials in the preceding financial year:
 - i) Net worth for Life Insurance Companies - Rs.500Crores.
 - ii) Net worth for General Insurance Companies and Health Insurance Companies - Rs.250Crores.
 - iii) Net worth for Reinsurance Companies - Rs.750Crores.
 - iv) Solvency for life insurance, General insurance, Health insurance and reinsurance companies - As prescribed by the Authority
 - v) Profit for life insurance, General Insurance, Health Insurance and reinsurance companies - For 3 years out of the last 5 years
- c. Where the Insurer is closely held, the Board Resolution in support of the commitment to support the operations of the foreign branch office shall be furnished. Where the same is widely held, a resolution of the shareholders to support the operations of the foreign branch office shall be furnished.
- d. The registered Insurer should not suffer from any adverse report of the Authority on its track record of regulatory compliances, for 3 years out of the preceding 5 years from the date of application.
- e. Any other requirement that may be sought by the Authority based on the application submitted by the Insurer.

TERMS AND CONDITIONS GOVERNING THE APPROVAL OF THE FOREIGN BRANCH OFFICE

(31) The approval to open a foreign branch office of the Insurers shall be subject to the following terms and conditions:

- a) Initial and further augmentation of capital and liabilities of the Foreign Branch Office shall be met out of the Insurer's Shareholders' funds beyond solvency margin requirement.
- b) Compliance with Foreign Exchange Management Act, 1999 and any other law in force governing the operations of such offices outside India.
- c) Compliance with host country's solvency requirements.
- d) The Insurer shall file a copy of the license or the certificate of registration upon receipt of the same from the host country.
- e) The Insurer shall immediately report to the Authority any regulatory or supervisory action taken by the host country regulator with full details along with the penalties imposed and other administrative actions, if any, and the remedial steps taken thereafter.
- f) Any adverse report or findings shall be communicated to the Authority as soon as it is observed.
- g) The Authority may impose any other terms and conditions while granting the approval for opening the foreign branch office outside India.

315868/115-5

OPERATIONAL REQUIREMENTS FOR FOREIGN BRANCH OFFICE

(32) The Board of the Insurer shall approve, inter alia, the following operational matters for establishment and conducting business of the foreign branch office in the host country:-

i. **Delegation of underwriting authority:**

a. Insurers at the beginning of every financial year shall review the underwriting limits delegated to each foreign branch office opened outside India and depending upon the financial net-worth, exposures, business plan, etc have the limits approved by the Board of Directors and filed with the Authority within a period of 60 days from the end of preceding Financial Year.

ii. **Underwriting Issues:**

a. Insurers are advised to formulate an 'Underwriting Policy' specially formulated for each of their foreign branch offices duly approved by the Board of Directors. Insurers should also consider formulating country specific policies, which need to be approved by their Board. The Insurers shall ensure that the design and rating of products is on sound and prudent underwriting basis. The contingencies insured under the product should be clear and provide transparent cover which is of value to the insured.

b. Comprehensive 'Underwriting Manual' to be followed by the foreign branches in respect to different aspects of its underwriting portfolio, should be prescribed by the Insurer. The Insurer shall have in place the procedures to oversee that the foreign branch office complies with the observance of the manual at all levels. The Insurers should have a mechanism to review the delegated powers of functionaries at the foreign branch offices as regards adequacy of such powers to meet market opportunities and timely business response needs.

iii. **Investment Management:**

a. The Insurers should formulate an "Investment Policy" to suit the scale, nature and area of operations of the foreign branch offices apart from business considerations and submit the same before its Board of Directors for its approval. In framing such a policy, the issues relating to compliance with host regulator's requirements, liquidity, prudential norms, exposure limits, stop loss limits in securities trading, management of all investment & market risks, management of assets liabilities mismatch, investment audits and investment statistics, etc. shall be addressed.

iv. **Risk Management:**

a. The Insurers should be compliant to risk management norms to meet the regulatory requirements of the host supervisor/regulator.

v. **Reinsurance:**

a. The Insurers shall place before the Board of Directors details of reinsurance arrangements proposed for the foreign branch offices to take care of the exposures that arise on account of the underwriting of risks taken in those countries. This should cover details of structure of reinsurance programme covering both proportional and non-proportional arrangements, net retentions, obligatory sessions, if any, classes covered by reinsurance arrangements, extent of catastrophe covers, security of reinsurers, placement of reinsurance cessions, reinsurance recoveries, outstanding loss provisions, etc.

vi. **Supervision and Control by the Insurer:**

a. The Insurer should review and revise all controls and returns including the system of periodical reviews submitted by the foreign branch offices to their Head Office or Corporate Office, as the case may be, to ensure effective supervision and to monitor their continued viability. The findings of the inspection or audit or scrutiny and compliance reports submitted by the foreign branch offices should be placed before the Audit Committee of the Board of the Insurer at half-yearly intervals.

b. The Insurer should also have in place the systems and checks to ensure that delegated powers are exercised prudently and judiciously by the authorised officials and has no adverse fallout on the parent office.

c. The Insurer should also review the delegated powers of the functionaries at the foreign branch offices as regards adequacy of such powers to meet local policyholder's expectations.

vii. **Actuarial Issues:-**

a. The Insurer may utilize the services of its Appointed Actuary for overseeing the valuation of liabilities, investment performance, solvency margin ratio, design and pricing of insurance products, creation of reserves for outstanding claims and any other matter which the Board of Directors deem fit.

2022/12/2

viii. **Claims Settlement Issues:**

a. The Insurer should have a comprehensive "Claims Manual" which prescribes the manner in which the claims in respect of its foreign branch office shall be processed, documentation, delegation of authority, policyholders servicing, grievance redressal, etc.

(33) The Board of Directors of Insurer is responsible for monitoring the functioning of the operations, financial statements and business performance of the foreign branch office at regular intervals and shall immediately report to the Authority any events or developments which can impair the functioning of the foreign branch office.

(34) **REPORTING REQUIREMENTS TO THE AUTHORITY**

The Insurer shall file the following reports of the foreign branches to the Authority:-

i. **Financial reporting**

a. Audited Annual Report giving full details of activities undertaken including premium underwritten, claims incurred, expenses of management, commission, investment income, profits, technical reserves, outstanding recoveries, etc in the form specified in Authority's concerned accounting regulations as modified from time to time within the time lines specified therein.

b. Investment of funds, returns on investment, NPAs, etc in the formats specified by the Authority's concerned investment regulations as modified from time to time within the time lines specified therein.

c. Report of the Appointed Actuary on the valuation of assets, liabilities and solvency margin of the foreign branch office.

ii. **Business Reporting**

a. On quarterly basis, the Insurer shall report the business mobilized through the branch office, expenses incurred, claims performance, ageing of claims, details of complaints received and redressed, service standards, distribution channels utilized, etc. in the formats specified by the Authority.

b. Reinsurance arrangements

iii. **Others**

a. The Insurer shall immediately report to the Authority any regulatory or supervisory action taken by the host country regulator with full details and the penalty, any administrative action, if any imposed and the remedial steps taken.

b. The Authority may call for any other return on the foreign branch office operations as deemed necessary.

(35) The Insurer shall immediately inform the Authority any adverse findings on the foreign branch office operations that are to its notice during the course of its monitoring or during the course of the review of the reports referred under these Regulations.

SOURCES OF MEETING THE CAPITAL REQUIREMENTS OF THE FOREIGN BRANCH OFFICE SET UP BY INDIAN INSURERS

(36) (i) The Insurer shall have in place appropriate arrangements to ensure that the policyholder's liabilities that arise out of foreign operations are adequately ring-fenced in order to protect the Indian policyholder.

(ii) Wherever the Insurer's foreign branch office operations result or likely results into a loss, then additional capital requirements for meeting the losses or for meeting the capital or other regulatory requirements, shall be contributed out of the Shareholders' funds beyond solvency margin requirement of the Insurer and no contributions from the policyholders' funds shall be utilized to meet the capital requirement of the foreign branch office.

FURTHER POWERS OF THE AUTHORITY

(37) (i) The Authority reserves the right to call, inspect or investigate any document, record or communication pertaining to the foreign branch office set up by the Insurer. The Insurer shall furnish such requirements within the timelines specified therein.

(ii) Notwithstanding the above, where the Authority is of the opinion that the operations of a foreign branch office are not in the interests of the Insurer, the Authority reserves the right to direct the Insurer to close the said foreign operations or to completely divest its stake in the said foreign branch office after giving an adequate opportunity of being heard to the Insurer.

RETURNS TO BE FURNISHED TO THE AUTHORITY

- (38) The capital infused into the foreign Branch Office of the Insurer as at the end of the preceding Financial Year and the projected capital infusions for the following Financial Year shall be reported to the Authority in the first quarter of every financial year that is before June 30th of the Financial Year.
- (i) *Notwithstanding the above provisions, the capital infused into the foreign branch office set up outside India at any time and the funds of any nature transferred into the operations of the foreign branch office set up outside India for any purposes at any time shall be reported to the Authority within 15 days of such transfer.*
- (39) The Authority may also reserve the right to consider prescribing in future such other returns on the foreign branch office's operations that may be filed by the Insurer with the Authority within such time lines as may be specified therein.

POWER TO ISSUE CLARIFICATIONS

- (40) In order to remove difficulties in respect of the application or interpretation of any of the provisions of these regulations, the Chairperson of the Authority may issue appropriate clarifications or guidelines as and when required.

SCHEDULE - I

Form PB - 1 / Form PB-2

APPLICATION FORM FOR NEW OFFICE OPENING / Form for intimation of Opening of a Place of Business

Insurer who seeks to open new office will have to fill up the form, same form to be filed in case of new office opening which requires prior approval of the Authority or intimation to the Authority.

1. Name of Insurer :
Type of filing:
Reason for Reconsideration of the application (if applicable)
2. **Proposed Office Location Details**
Address** : _____
State / UT* : _____
District* : _____
City/Town/Village* : _____
Pin Code** : _____
(*Mandatory while filing application for opening a place of business and **Mandatory while intimating after opening of the place of business)

3(a) Classification of Location

- (i) Location: Metro/Urban/Semi-Urban (ii) Classification: Tier I/II/III/IV/V/VI
(iii) Type of Office: _____ (iv) Classification as per Census (Year): _____
(v) Population _____ as per census (Year) _____

3(b) Solvency Margin & Expenses of Management

- (i) Expenses of Management for three years (as on) _____
(ii) Solvency Margin for three years (As on) _____

3 (c) Other Details:

- (i) Distinctive Code: _____
(ii) Date of office Opening: _____

4. Application Submission Details

- i. Date of submission of application (if applicable)
- ii. How many previously approved offices are pending for opening with the insurer?

- iii. Whether the insurer complied with the prescribed ceiling on expenses of management during the previous financial year ?
- iv. Whether the insurer complied with prescribed solvency norms during the previous financial year?
- v. Proposed total capital expenditure involved in opening of the new office
- vi. Whether the office would be connected to the insurer's IT network
- vii. Whether issue of online premium receipts is planned for the proposed offices
- viii. If connectivity is not provided, what alternative servicing arrangements have been made and what is the distance of the proposed office from the nearest supporting office.
- ix. Date of approval for opening of offices by the Board of Directors
- x. Functions proposed to be handled at the proposed office (Please mention yes/no)
 - a Sales Support
 - b Premium Collection
 - c. New Business
 - d. Policy Servicing
 - e. Investment
 - f. Corporate Functions
 - g. Others (to Specify)
 - h. Back end office with no customer interface :

5. Expected Business

Year	No. of New Policies	Premium income from new business
Year 1		
Year 2		
Year 3		

6. Proposed Manpower

Designation	No. of Employees

Enclosures:

1. Copy of Board approved Annual Business Plan
2. Statement of Solvency Ratio for 3 FYs
3. Statement of Expenses of Management for 3 FYs

Signature of CEO

OR

Signature of Chief Compliance Officer

For the purpose of these forms Metropolitan Centre is a place where population is 10 lacs and above and Urban Center with a population of 1 lac to 9,99,999, semi Urban from 10,000 to 99,999 population figures to be reckoned as per the latest available decennial census data.

Form PB-3

REQUEST FOR APPROVAL FOR RELOCATION OF OFFICES

Request for approval for relocation of offices

(other than for relocation within the same city, town or village (for all type of cities)

Pin Code|

State

District

City

315802/15-6

Distinctive Code

1. Name of Insurer :

2 (a) Location details of existing office

- i. Address line 1
- ii. Address line 2
- iii. Address Line 3
- iv. State/UT
- v. District
- vi. City/Town/Village
- vii. Pin Code

2 (b) Classification of Location

- i. Location: Metro/Urban/Semi-Urban
- ii. Classification: Tier I/II/III/IV/V/VI
- iii. Type of Office
- iv. Classification as per census (year)
- v. Date of office opening
- vi. Population ___ as per census (Year) _____

3(a). Details of new office location

- i. Address line 1
- ii. Address line 2
- iii. Address Line 3
- iv. State/UT
- v. District
- vi. City/Town/Village
- vii. Pin Code

3 (b) Classification of Location

- i. Location : Metro/Urban/Semi-Urban
- ii. Classification: Tier I/II/III/IV/V/VI
- iii Type of Office:
- iv Classification as per census (year)

4. Other details

- i. Proposed date of Relocation
- ii. Date of approval by the Board of Directors for relocating of office
- iii. Notified to the policyholders on relocation? (Two months prior notice) Yes/No

If No Reasons: _____

If Yes:

Date of Notification:

Mode of Notification:

Enclosures:

1. Copy of the Board Resolution

Signed by

CEO (or)

Chief Compliance Officer

Form - PB-4

INTIMATION FOR CLOSURE OF OFFICES

Intimation of Closure of offices (all cities)

(Insurers are required to notify the closure of office at least 2 months in advance to the Authority)

Pin Code|

State

District

City

Distinctive Code

1. Name of Insurer :**2(a). Location details of existing office**

i. Address line 1

ii. Address line 2

iii. Address Line 3

iv. State/UT

v. District

vi. City/Town/Village

vii. Pin Code

2 (b) Classification of Location

i. Location (Metro/Urban/Semi-Urban)

ii. Classification (Tier I to Tier VI)

iii. Type of Office

iv. Classification as per census

v. Date of office opening

3. Other details

i. Unique Id Number, if any

ii Date of closure

iii Date of approval by the Board of Directors/PPC for closing of office

iv. Notified to the policyholders on closure (two months prior notice)

If No, specify the reasons:

If Yes,

Date of Notification:

Mode of Notification:

v. Notified to the Authority on ____

Enclosures:**1. Copy of the Board Resolution (Mandatory)**

Signed by

CEO (or)

Chief Compliance Officer

FORM - PB-5

(INTIMATION AFTER RELOCATION)

Intimation of relocated office

Type of Intimation

Distinctive Code

1. Name of Insurer:**2(a). Location details of existing office**

- i. Address line 1
- ii. Address line 2
- iii. Address Line 3
- iv. State/UT
- v. District
- vi. City/Town/Village
- vii. Pin Code

2 (b) Classification of Location

- i. Location: Metro / Urban / Semi Urban
- ii. Classification: Tier I/II/III/IV/V/VI
- iii. Type of Office
- iv. Classification as per census (Year)
- v. Date of office opening

3. Other details**Actual Date of Relocation:****Remarks, if any**

Enclosures:

1. Copy of the Board Resolution

Signature of CEO/CCO

FORM – FPB-1**The Chairman****Insurance Regulatory and Development Authority of India,****3rd Floor, Parisrama Bhavan,****Basheer Bagh,****Hyderabad 500 004****Re: Application for opening of a representative/ liaison office outside India by Insurer registered with IRDAI**

S. No.	Particulars	Details
A	General Information	
1	Full Name of the Insurance Company	
2	Place and Date of Incorporation	
3	Address of Head Office	
4	Registration No.	
B	Ownership & Management	
1	List of names and addresses of directors and their qualifications and principal business	
i)	Name & Address	
ii)	Qualifications	
iii)	Principal Business	
2	Name, Address and contact details of Chief Executive Officer or Principal Officer of the proposed representative or liaison office	
3	Name, designation, address and contact details of Key Person at Head Quarters who will be responsible for overseeing the company's representative/ liaison office outside India	
C	Details of proposed representative/ liaison office outside India	

1	Location	
2	Purpose of opening the representative/ liaison office	
3	Activities proposed to be undertaken (Refer Regulation 21)	
4	Estimated annual expenses and sources and manner of meeting these expenses	
5	Whether approval of the Government of India (in respect of LIC/ PSU's only) and Board of Directors has been taken. If so, submit certified copies of necessary approvals.	
6	Copies of Government/ Regulatory approval or in-principle clearance from host country	
D	Financial Position of the Insurance Company in the preceding three Financial Years	
1	Details of capital: (i) Paid-up capital: (ii) Free Reserves as per last audited Balance Sheet	
2	Highlights of financial position of the Insurer based on last three years financial statements	
3	Solvency Margin Ratio	
4	Management Expense Ratio for last 3 years	
5	Combined Ratio for last 3 years	
6	Has Government of India or any Regulatory body taken any action or imposed any penalty, fine, etc on the Insurer. If so, the details thereof.	
E	Supervisory Arrangements	
1	Details of supervisory arrangements to which the Insurer will be subject to in the jurisdiction where it is proposing to open a representative/ liaison office.	
F	Documents to be enclosed	
1	Copies of Memorandum and Articles of Association	
2	Last 3 years financial statements	
3	Certified copies of approval of the Government of India (in respect of LIC/ PSU's only) and Board of Directors	
4	Copies of Government/ Regulatory approval from host country or in-principle clearance received from them, if any	
5	Copy of research undertaken, if any, to arrive at a decision for opening a representative/ liaison office in the host country	

We hereby declare that:

- (i) The particulars given above are true and correct to the best of our knowledge and belief;
- (ii) We shall confine our activities outside India to the fields indicated in column C.3 above;
- (iii) We will abide by the terms and conditions that may be stipulated by Insurance Regulatory and Development Authority of India, if approval is given.

(Signature of Chief Executive Officer Or Chief Compliance Officer of the Applicant Company)

Name:

Designation:

Place:

Date:

Form FPB - 2

The Chairman
Insurance Regulatory and Development Authority of India
3rd Floor, Parisrama Bhavan
Basheer Bagh
Hyderabad 500 004

Re: Application for opening of a foreign branch office of Insurers registered with IRDAI

Sl. No.	Particulars	Details
A.	General Information	
1.	Full Name of the Insurer	
2.	Place and Date of Incorporation	
3.	Address of Corporate Office	
4.	Registration No.	
B	Ownership & Management (as on date of application)	
1.	List of names and addresses of Directors and their qualifications and principal business	
	(i) Name & Address	
	(ii) Qualifications	
	(iii) Principal Business	
2.	Name, Address and contact details of Chief Executive Officer	
3.	Details of shareholders holding more than 5% of the share capital	
C	Financial Position of the Insurer (as on date of application)	
1.	Details of capital: (i) Paid-up capital: (ii) Free Reserves as per last audited Balance Sheet	
2.	Highlights of financial position of the Insurer based on last three years financial statements	
3.	Net worth for the preceding 3 Financial Years	
4.	Profits for the preceding 5 years	
5.	Solvency Margin Ratio of the preceding 3 Financial Years	
6.	Management Expense Ratio for preceding 3 Financial Years	
7.	Combined Ratio for preceding 3 Financial Years	
8.	Shareholders Fund beyond solvency margin requirement for the preceding 3 Financial Years	
9.	Has Government of India or any Regulatory body taken any action or imposed any penalty, fine, etc on the Insurer, during the preceding 3 Financial Years. If so, the details thereof.	
D.	Details of proposed office outside India	
1.	Location	
2.	Name, Address and contact details of Chief Executive Officer of the proposed branch office outside India	
3.	Purpose of opening the office outside India	
4.	Class of insurance business proposed to be underwritten	
5.	Submit detailed Financial Projections - A description of the model used for financial projections should be provided, based on assumptions, for a period of 5 years, for each year from the beginning. These should set out the following: (i) Size of sales force. (ii) Amount of sales. (iii) Size of sales support and administrative staff.	

	<ul style="list-style-type: none"> (iv) Premium income. (v) Investment income. (vi) Commissions and other sales related expenses. (vii) Expenses of administration. (viii) Income tax and other taxes. (ix) Statutory reserves. (x) Required solvency margins. (xi) Profit and loss accounts and balance sheets. (xii) First year and renewal expense ratios. (xiii) Capital needs (xiv) Break-even periods and the Return on Capital. (xv) Shareholder dividends: Indian and Foreign. (xvi) Policyholder surpluses and bonus declarations <p>This section should also discuss the manner in which the future capital needs will be met.</p>	
6.	<p>Sensitivity Analysis - The analysis set out in S. No. 5 above will be based on a base scenario and a few alternate scenarios. Sensitivity analysis based on "Optimistic" and "Pessimistic" assumptions should also be included. These will relate to assumptions such as:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Size of sales force. (ii) Volume of sales. (iii) Average size of sale. (iv) Levels of mortality/morbidity, policy terminations for life/ health. (v) Administrative expenses (including inflation). (vi) Future investment conditions. (vii) A discussion on the manner in which the outcome of the pessimistic scenarios will be handled should be included. (viii) Estimated annual expenses and sources and manner of meeting these expenses 	
7.	Whether approval of the Government of India (in respect of LIC/ PSU's only) and Board of Directors has been taken. If so, please submit certified copies of the approvals.	
8.	Copies of Government/ Regulatory approval or in-principle clearance from host country, if any.	
E	Supervisory Arrangements	
1.	Details of supervisory arrangements to which the Insurer is subject to in the jurisdiction where it is proposing to open an office outside India.	
2.	Nature of the Branch Office (how it is incorporated in the host country)	
3.	Proposed name of the Branch Office in host country	
4.	Place and Date of Incorporation	
5.	Address of Office of FBO	
6.	Registration No.	
F	Ownership & Management of the proposed foreign branch office	
1.	List of names and addresses of Key persons and their qualifications and principal business of the proposed foreign branch office	
2.	Name & Address	
3.	Qualifications	
4.	Principal Business	
5.	Name, Address and contact details of Chief Executive Officer of the foreign Branch Office	

6.	Name, designation, address and contact details of Key Person at Indian Corporate Office who is responsible for overseeing the foreign branch office	
G	Documents to be enclosed	
1.	Copies of Memorandum and Articles of Association	
2.	Preceding 3 financial years financial statements	
3.	Certified copies of approval of the Government of India (in respect of LIC/ PSU's only) and Board of Directors	
4.	Copies of Government/ Regulatory approval from host country or in-principle clearance received from them	
5.	Copy of research undertaken, if any, to arrive at a decision of opening of branch office in a the host country	
6.	Any other documents, which are deemed relevant and substantiate the opening of office outside India	

We hereby declare that:

- (i) The particulars given above are true and correct to the best of our knowledge and belief;
- (ii) We shall confine our activities outside India to the fields indicated at Sl. No. D(4) above;
- (iii) We will abide by the terms and conditions that may be stipulated by Insurance Regulatory and Development Authority of India, if approval is given.

(Signature of Chief Executive Officer Or Chief Compliance Officer of the Applicant Company)

Name:

Designation:

Place:

Date:

Certification

I, the undersigned, solemnly declare that the facts given in this application form on behalf of the Applicant Company are true and that the projections and estimations are based on reasonable assumptions.

(Signature of Chief Executive Officer Or Chief Compliance Officer of the Applicant Company)

Name:

Designation:

Place:

Date:

T.S. VIJAYAN, Chairman
[ADVT.III/4/Exty./161/15(141)]